

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 769—पीबीआर / 15

जिला – ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-5-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह अपील आम्सू एकट के विरुद्ध कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पेश की गई है । आम्सू एकट के तहत पारित आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है । अतः यह अपील आवेदक को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापिस की जाये ।</p> <p style="text-align: right;">संदर्भ</p>	



न्यायालय आयुक्त महोदय ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक...../2015 अपील अपील 769-PBR-15

श्री तेजस्वी मादन ८५.  
द्वारा आज दि 13-६-१५ को  
प्रस्तुत  
४७ वलक ऑफ कोर्ट  
राजरव मण्डल म.प्र. नं. ३०

उदय सिंह पुत्र फूल सिंह आयु 40  
वर्ष निवासी ढारिका गंज, ग्राम  
टांकोली, थाना उटीला, ग्वालियर  
म0प्र0

अपीलार्थी

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर एंव  
जिला मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी),  
ग्वालियर म0प्र0

प्रतिअपीलार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट विरुद्ध आदेश  
दिनांकी 20.11.2014 द्वारा पारित श्री पी. नरहरी,  
कलेक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी), ग्वालियर  
प्रकरण क्रमांक क्यू/आर/डी/एम/नौ.5/68/14, जिसके  
द्वारा अपीलार्थी का लाइसेंस क्रमांक 1712/06  
निरस्त किया गया है।

माननीय महोदय,

आवेदक/अपीलार्थी की अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- Shri. Vijay Yadav A.C.M.*
- यहकि, आवेदक एक सम्भांत एंव शान्ति प्रिय  
नागरिक है एंव उक्त पते पर विगत 40 वर्षों से  
निवासरत है।
  - यह कि, आवेदक के विरुद्ध अपराध क्रमांक  
80/2013 के अतिरिक्त किसी भी न्यायालय के  
समक्ष अन्य कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
  - यहकि, वर्तमान अपील आवेदक द्वारा आदेश दिनांकी  
20.11.2014 द्वारा पारित माननीय कलेक्टर एंव

